न्यायालयः अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।
उपस्थितः– हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP2408)
द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः– 1436/2026
कम्प्यूटर पंजीकरण संख्याः– 1436/2026
CNR No. UPHP010049172026

अर्न्तगत धारा– 331(4), 305a,
317(2) भारतीय न्याय संहिता
व 3/5/25 आयुध अधिनियम।
मु०अ०सं० 71/2026
थाना– बाबूगढ़, जिला हापुड़।

नदीम पुत्र सलीम, निवासी करुला रहमत नगर, गली नं०–8, थाना कटघर, जिला मुरादाबाद।

––बनाम––

सरकार।

दिनांकः– 16.07.2026

अभियुक्त **नदीम पुत्र सलीम** की ओर से उक्त केस में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि "प्रार्थी/अभियुक्त कतई निर्दोष है तथा थाना हाजा की पुलिस ने झूठा फंसाया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया है, जो उक्त अपराध की श्रेणी में आता हो। प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र लिपिकीय त्रुटि के कारण भूलवश अन्य आधारों पर प्रेषित कर दी गयी थी, जिसे मुझ अधिवक्ता द्वारा वापस लिया गया था, जिस कारण उक्त द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई है, दर्शायी गयी बरामदगी फर्जी एवं नुमाइशी है। प्रार्थी/अभियुक्त को यू०पी० पुलिस व दिल्ली पुलिस द्वारा साथ मिलकर दिनांक 09.04.2026 गिरफ्तार किया तथा बिना गिरफ्तारी का कारण बताये 3 दिन अवैध हिरासत में रखा तथा दिनांक 12.04.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय सर्वोच न्यायालय द्वारा राजेश शाह मिहिर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2025) में स्पष्ट विधि व्यवस्था दी गयी है कि अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों से लिखित रूप में अवगत कराया जाना व उक्त लिखित कारणों की प्रतिलिपि अभियुक्त या उसके परिजनों को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है, किन्तु ना तो कोई गिरफ्तारी के कारण से अवगत कराया गया, न ही कोई प्रतिलिपि उपलब्ध करायी गयी। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा दिनांक 12.04.2026 से जेल (जिला कारागार डासना, गाजियाबाद) में निरूद्ध है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और न ही कोई जनता का गवाह है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का सदस्य है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा गवाहान तोड़ने साक्ष्य नष्ट करने का भी कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त श्रीमान जी कि संतुष्टि हेतु उचित जमानत देने को तैयार है।"

इसके विपरीत विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा द्वितीय जमानत का विरोध किया गया तथा कथन किया गया कि अभियुक्त पर अपराध गम्भीर प्रकृति का है। द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि "मैं अरुण कुमार कल दिनांक 05.03.2026 को अपने पिता वेदप्रकाश और अपनी माता सीमा को दवाई दिलवाने के लिए शाम 07.30 PM दिल्ली ले गया था। घर का ताला लगाकर चाबी अपने पड़ोसी बलराज को दे गया था। आज उमेश मेरे पड़ोसी के लड़के ने मेरे

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.07.24 15:02:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पास फोन करके बताया कि तेरे घर में चोरी हो गई है। मैं अपनी माता जी के साथ दिल्ली से ग्राम उपैड़ा अपने घर पर आया तो रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली है। चोरी में नकदी व ज्वैलरी गई है, जिसकी सूची मैं अपने घर वालों से पूछकर बाद में दे दूंगा। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कारवाही करने की कृपा करें।"

मेरे द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की तर्कपूर्ण बहस को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त नदीम पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर में चोरी करने तथा एक अदद तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद होने का आरोप है। पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से माल मुकदमाती एक अदद मंगलसूत्र पीली धातु, एक जोड़ी कान की झाले पीली धातु, एक चैन पीली धातु, एक जोड़ी कान की बाली पीली धातु, दो ओम पीली धातु (पाननुमा व षटभुजा), चार जोड़ी पाजेब सफेद धातु, एक गले का हार पीली धातु, चार जोड़ी बिझिया सफेद धातु व 18,000 रुपए बरामद किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में अज्ञात में दर्ज मुकदमों से संबंधित माल मुकदमाती भी अभियुक्त एवं सहअभियुक्त के कब्जे से दौरान गिरफ्तारी बरामद किया गया है। संबंधित थाना से प्राप्त आख्या के अनुसार अभियुक्त का 24 मुकदमों का वृहद आपराधिक इतिहास दर्शाया गया है, जो कि गैंगस्टर, चोरी, जान से मारने का प्रयास इत्यादि अपराधों से संबंधित हैं। अभियुक्त आपराधिक मनोवृत्ति का व्यक्ति प्रतीत होता है। ऐसे में अभियुक्त को यदि जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो अभियुक्त द्वारा साक्ष्य को दुष्प्रभावित करने, भाग जाने तथा पुनः अपराध में संलिप्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अभियुक्त का अपराध गंभीर प्रकृति का है।

मामले के तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, बिना गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये आवेदक/अभियुक्त को द्वितीय जमानत पर रिहा किये जाने का आधार नहीं पाया जाता है। तद्नुसार अभियुक्त का द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त नदीम पुत्र सलीम की ओर से मु०अ०सं० 71/2026 अंतर्गत धारा- 331(4), 305ए, 317(2) भा०न्या०सं० व 3/5/25 आयुध अधिनियम, थाना- बाबूगढ़, जिला हापुड़ में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः- 16.07.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code-UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।